न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निग0 2640–दो / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी प्रकरण कमांक 83 / बी–121 / 2011–12.

———

1– अब्दुल रज्जाक
2– अब्दुल खालिक
3– मो. अब्बास
4– मो. महमूद
सभी के पिता अब्दुल वहीद
5– मो. आफताब पिता मो. शाबुद्दीन
नाबालिक द्वारा बली अब्दुल रज्जाक
पिता अब्दुल वहीद
6– मो. अजहर नाबालिग पिता रियाजवली
नाबालिग द्वारा वली अब्दुल रज्जाक
सभी निवासी 903 बड़ी ओमती
जबलपुर म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सालिगराम पिता स्व. श्री परसराम नायक
2– रामदत्त पिता स्व. श्री परसराम नायक
दोनों निवासी ग्राम निवास तहसील बहोरीबंद
3– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर कटनी म.प्र.

——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।
अनावेदक क. 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप पासी ।
अनावेदक कं. 3 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01–06–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक

83/बी–121/2011–12में पारित आदेश दिनांक 25–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बहोरीबंद के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम निवास रा.नि.मं. स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद स्थित भूमि पुराना ख. नं. 521 एवं 549 रकबा कमशः 2.934 एवं 2.720 हैक्टर (नया नंबर 763 रकबा 2.77 है. खसरा नं. 795 रकबा 0.47 हैक्टर खसरा नं. 804 रकबा 2.41 हैक्टर) उनकी पैत्रिक भूमि है । उनके द्वारा उक्त भूमि के बटवारे हेतु वर्ष 1984 में पटवारी को आवेदन दिया गया था जिस पर से राजस्व निरीक्षक ने उन्हें बिना सुने एवं बिना भूमि को 3 हिस्सों में बांटे कुछ भूमि को उनके नाम दर्ज किया गया तथा प्रश्नाधीन भूमि को हनुमान जी मंदिर निमास सरवराकार सालिगराम, रामदत्त के नाम दर्ज किया गया । आवेदन में उन्होंने राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही को अधिकारिता रहित बताते हुए उसे निरस्त कर रिकार्ड दुरस्त करने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक जांच उपरांत आदेश दिनांक 28–7–2005 पारित करते हुए त्रुटि सुधार करने का आदेश दिया । इस आदेश की शिकायत माननीय विधायक द्वारा किए जाने पर अपर कलेक्टर ने आलोच्य प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 25–3–14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–7–05 निरस्त किया एवं प्रश्नाधीन भूमि को पूर्ववत बंदोवस्त में दर्ज विवरण अनुसार ही रखे जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां उनके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23–9–05 के मार्फत विक्रेतागण अनावेदक कमांक 1 एवं 2 से क्रय कर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया थका तब से वे एक मात्र भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं । भूमि क्रय करने के उपरांत उनका विधिवत नामांतरण किया गया है । किंतु आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकों को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और ना ही उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया और ना ही नोटिस जारी किये गये । अतः आलोच्य आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के स्वामित्व की है बिना उनकी जानकारी के त्रुटिवश दिनांक 9–7–1984 को राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमियों पर श्री हनुमान जी मंदिर निमास का नाम दर्ज कर दिया गया था जबकि अनावेदकों एवं उनके पिता स्व. परसराम द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत, दानपत्र, विकयपत्र इत्यादि श्री हनुमान जी मंदिर निमास के नाम निष्पादित नहीं किया गया और ना ही मौके पर किसी प्रकार का मंदिर स्थापित है । जानकारी होने पर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रतिवेदन बुलाकर एवं समस्त राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन कर विधिवत जांच उपरांत बोलता हुआ आदेश दिनांक 28–7–05 पारित कर रिकार्ड दुरस्ती का आदेश अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पक्ष में पारित किया है जो उचित एवं न्यायिक है ।

यह तर्क दिया गया कि खसरा नं. 663 रकबा 2.77 हैक्टर भूमि के संबंध में विधायक श्री गिरीराज किशोर द्वारा कलेक्टर, कटनी के समक्ष शिकायत दिनांक 28–5–09 को पेश की गई जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने एस.डी.ओ. से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया एवं अनावेदक क. 1 एवं 2 को नोटिस जारी किया गया जिस पर उन्होंने आपत्ति की कि, शिकायतकर्ता द्वारा बताया जा रहा मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना ही संबंधित अभिलेखों में दर्ज है । अनावेदकों द्वारा कभी भी किसीं प्रकार का कोई भी दान, विलेख, विकयपत्र वसयीत इत्यादि श्री हनुमान जी मंदिर के नाम निष्पादित नहीं किया है ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी मंदिर, प्रबंधक, जिलाध्यक्ष का नाम दर्ज होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । यह भी कहा गया था कि अनावेदक क. 1 एवं 2 के पिता की मृत्यु 1960 में तथा मां की भी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है ऐसी स्थिति में सन् 1982 के बटवारा के समय उक्त जमीन मंदिर को दिया जाना संभव नहीं है । अभिलेख में संलग्न खसरा पांचसाला वर्ष 1974–75 से 1978–79 में कहीं भी हनुमान जी मंदिर का नाम दर्ज नहीं है । उक्त प्रविष्टि राजस्व अधिकारियों द्वारा अकारण ही करदी गई है जबकि उक्त भूमियां अनावेदकों की पैत्रिक भूमियां हैं । उक्त संपत्ति किसके आदेश से दर्ज की गई यह भी स्पष्ट नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई । ऐसी स्थिति में

उक्त आदेश अंतिम हो गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर को स्वप्रेरणा के आधार पर संहिता की धारा 50 के तहत सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अधिकारिता विहीन समयावधि बाधित रूप से 4 वर्ष उपरांत शिकायत के आधार पर पारित किया गया है अपास्त किये जाने योग्य है । स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग्य युक्तियुक्त समय के अंदर ही किया जा सकता है । स्वमेव पुनरीक्षण शक्ति 60 दिन या अधिकतम 180 दिनों के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2010(4) एम.पी.एल.जे. 178, (पूर्णपीठ माननीय उच्च न्यायालय), 2012 आर.एन. 362 (उच्च न्यायालय) 2013 आर.एन. 362 (उच्च न्यायालय) आदि प्रस्तुत किये गये हैं ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश विधि के सारभूत प्राकृतिक सिद्धांतों के विरूद्ध मनमाने तरीके से तथा मात्र अनुमानों पर आधारित आवेदकगण के पीठ पीछे उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिया, श्री हनुमान जी मंदिर, निमास का अस्तित्व ना होते हुए भी बिना किसी दान, बक्शीश, वसीयत, विक्रयपत्र के बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व अधिकारियों के द्वारा तथाकथित रूप से राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि मात्र के आधार पर तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश होते हुए भी शिकायत के आधार पर 4 वर्ष उपरांत स्वप्ररेणा निगरानी में पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 एवं उनकी माता स्व. हरबाई बेवा परसराम के नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित थी इसकी पुष्टि अभिलेख में संलग्न खसरा पांचसाला वर्ष 1974–1978 से होती है । वर्ष 1984 में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा पंजी पर